

पत्रांक-श्रम क० स०-39/2015-362

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

संशोधित आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 04 दुर्घटना में मृत के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) एवं स्वाभाविक मृत्यु में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) अर्थात् ₹ 430000/- (चार लाख तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रितों को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश 101 दिनांक 15.2.17 द्वारा राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रित/लाभार्थी के अन्य कारणों से राशि का अंतरण नहीं हो सका।

श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा के पत्रांक 746 दिनांक 30.8.18 द्वारा प्राप्त त्रुटि परिमार्जन कर बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापक 101 दिनांक 15.2.17 के क्रमांक 02, 03, 07, 13, 17 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/दावेदार	जिलापदाधिकारी /श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० अंजनी कुमार सिन्हा, 28, सामान्य	श्रीमती गुडिया देवी(पत्नी)	686/30.11.16	ग्रा०-जगतपुर,पो०-परशुरामपुर, था०-कृष्णागढ़, प्र०-बड़हरा, भोजपुर	16170001 01070459	Punjab National Bank, Krishna Garh, PUNB0161700	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतीहर मजदूर
2	स्व० सलीम अंसारी, 46, अनु० जाति	श्रीमती आशमा खातुन(पत्नी)	708/7.12.16	ग्रा०-रामाषाँद टोला(मिंजरई), पो०-रामाषाँद, था०+प्र०-सं देश, भोजपुर	60040001 00041086	Punjab National Bank, Sandesh, PUNB0600400	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, रजमिस्त्री
3	स्व० सुमित्रा देवी, 46, सामान्य	श्री कौशल कुमार उर्फ कौशल सिंह(पति)	744/30.12.2016	ग्रा०-खजुआटा, पो०-देवरीया, था०+प्र०-उदवन्तनगर, भोजपुर	21420001 00116774	Punjab national bank,, PUNB0214200	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतीहर मजदूर
4	स्व० विजय कुमार साह, 62, सामान्य	श्रीमती लालमुनी देवी(पत्नी)	748/30.12.16	ग्रा०-शुभकरण गंज, पो०-दौलतपुर, था०-आरा (मु०), प्र०-आरा, भोजपुर	74550001 00011204	PNB, Arrah Gaus Gang, PUNB0745500	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु साईकिल पर खाद्य पदार्थ लादकर खुदरा बिक्री कार्य
5	स्व० सुरेश कुमार सिंह, 45, सामान्य	श्रीमती धर्मशीला देवी(पत्नी)	725/20.12.16	ग्रा०-हेमतपुर, पो०-मैनपुरा, था०-आरा(मु०), प्र०-आरा, भोजपुर	00220001 03461629	Punjab National Bank, Chowk Ara, PUNB0002200	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेती मजदूर

कुल :- ₹ 430000/-

(चार लाख तीस हजार रूपए मात्र)

2. शेष कड़िका यथावत रहेगा।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना

सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015-362


पटना, दिनांक :- 04-11-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 430000/- (चार लाख तीस हजार रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित/ आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


25/10/19
(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका


25/10/19

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी


25/11

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।